

>

Title: Regarding reported man handling of two sikhs by Delhi Police

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): सर, जो बीस में आए हैं, उनको तो टाइम मिलना चाहिए। जो बीस के बाहर वाले हैं, उनके लिए एक मिनट का समय है।

चेयरमैन साहब, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का टाइम दिया। मुखर्जी नगर में 16 जून, 2019 को शाम का वक्त था। वहाँ पर सरबजीत सिंह, उम्र- तकरीबन 60 साल और उसका नाबालिग बेटा जो 16 साल का था। वह ग्रामीण सेवा टैम्पू का चालक है। वह अपना टैम्पू चलाकर आ रहा था, उसके पीछे से अचानक दिल्ली पुलिस की एक जिप्सी आयी, उसे रोका और उससे हफ्ता लेने की बात की। जब उसने हफ्ता देने से मना कर दिया तो जिप्सी उसके पीछे-पीछे चलती गई। जब मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन के सामने वह टैम्पू पहुंचा तो वहाँ पर जिप्सी वालों ने उसे दोबारा रोका।

उसके सीधा पिस्टल लगाकर उससे हफ्ता मांगने लगे। जब उसने सेल्फ डिफेंस में और बच्चे ने अपने बाप को बचाने की कोशिश की, तो दिल्ली पुलिस वाला पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर और पुलिस वालों को लेकर आया। जिन्होंने बिना देखे, सरबजीत सिंह और उसके बेटे को, डण्डों से, राइफलों से और पिस्टलों के बट से बुरी तरह पीटा। इसको सोशल मीडिया पर सबने देखा है।

HON. CHAIRPERSON : It is a State issue.

श्री रवनीत सिंह: सर, दिल्ली पुलिस किसके अंडर है? आपको यह नहीं पता कि दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री, अमित शाह जी के अंडर है। यह स्टेट इश्यू कैसे हो गया? दोनों सिखों को ...(व्यवधान) आपको बात सुननी पड़ेगी। ...(व्यवधान) हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट पगड़ी और बाल हैं, केश हैं। ...(व्यवधान) उसकी पगड़ी उतारी गई और पगड़ी को सड़क पर रौंद दिया गया। बाल जो सिख के लिए सबसे इंपोर्टेंट हैं, बालों को पकड़कर सड़क पर उसे खींचा गया। शर्म की

बात यह है, इसमें धारा 295 ए लगनी चाहिए, वह आज तक नहीं लगी । ...
(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप कनक्लूड कीजिए ।

श्री रवनीत सिंह: आप एक माइनोरिटी की बात दबाएंगे । मैं अपने धर्म की एक बात कर रहा हूं, आप उसे दबाएंगे । अमित शाह जी, जो 84 की बात कर रहे हैं । ...
(व्यवधान) आज अमित शाह जी के मुंह से एक वर्ड नहीं निकला ।...
(व्यवधान)

माननीय सभापति: वीरेन्द्र कुमार जी, आप अपनी बात रखिए ।

...(व्यवधान)